तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08-06-26	पत्रावली पेश हुई। दोनो पक्षो के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 196 रकबा 19.1011 हैक्टेयर भूमि ग्राम दूदो का बाडा तहसील समदडी में आई हुई। प्रार्थीगण के खेत में आवागमन हेतु रास्ता प्रार्थी के खेत के उत्तर पश्चिम में विप्रार्थी संख्या 1 से 15 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 477/197 के तरफ पश्चिमी माठ में प्रवेश कर दक्षिणी माठ माठ होता हुआ आगे विप्राथी। सख्या 16 से 18 के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 198 व 199 के दक्षिणी माठ माठ चलते आगे खसरा संख्या 162 किस्म गै.मु. रास्ता में मिलता हुआ आगे विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 366/ 114 के दक्षिणी माठ–माठ होता हुआ खसरा संख्या 360 पी.डब्लयू डी. के आम रास्ता खेजडियाली जाने वाले डामर सडक पर मिलता है उक्त रास्ता प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि में आवागमन को निकटतम रास्ता है इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ते को गै.मु. रास्ता घोषित किया जावे। प्रार्थीगण को विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से प्रचलित कदीमी रास्ते से गुजरना पड़ता है, जो कि प्रार्थीगण के आवागमन का इकलौता विकल्प है और उसी रास्ते से प्रार्थीगण बरसात के मौसम में कृषि संयत्र लाते ले जाते है। विप्रार्थीगण रास्ता अपनी खातेदारी में अवस्थित होने के कारण प्रार्थीगण के आवागमन में व्यवधान पैदा करते हैं, अतः प्रार्थीगण ने उक्त रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करवाने तथा तदनुसार लट्ठा नक्शा में तरमीम करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है तथा प्रभावित भूमि के बदले विप्रार्थी संख्या 1 से 18 को प्रतिफल की राशि अदा किये जाने में अपनी सहमति व्यक्ति की। विप्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मे आवागमन हेतु पूर्व में रास्ता मौजूद है प्रार्थीगण खसरा सख्या 227 से होकर कटाण रास्ता खसरा संख्या 229 तक जाते है। प्रार्थीगण अपने खेत में आने–जाने एवं अपने कृषि साधन लाने–लेजाने हेतु उक्त रास्ते का उपयोग व उपभोग करते है जो प्रार्थीगण के खेत से सुलभ, सुचारू एवं नजदीकतम रास्ता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ते पर कभी भी आवागमन नहीं करते है प्रार्थीगण ने हठधर्मिता से अपना निर्धारित रास्ता छोड कर विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में पर नया रास्ता कायम करना चाहते है जो विधि विरूद्ध है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के आधार पर अस्वीकार किया	

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो इस की तामील में हुए	तारीख हुक्म

जाकर खारिज फरमाया जावे।

हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज,तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का गंभीरता से अवलोकन एवं मनन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य का विवेचन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधान अनुसार :–

(1) यह आवश्यक आत्यंतिक आवश्यक है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है ;और

(2) अन्य खातेदार की जो में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है:–

तहसीलदार समदडी के रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण पूर्व में आवागमन खसरा संख्या 229 किस्म गै.मु. रास्ता से होते हुए खसरा संख्या 227 मे से होता था।प्रार्थीगण प्रस्तावित रास्ते पर कभी भी आवागमन नहीं करते थे तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ता विकल्प मे से निकटतम नहीं है, तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शे से स्पष्ट है कि वैकल्पिक रास्ते की दूरी प्रस्तावित रास्ते से कम है तथा प्रार्थीगण पूर्व में वैकल्पिक रास्ते का उपयोग व उपभोग करते थे, तहसीलदार समदडी के रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि खसरा संख्या 198 की किस्म गै.मु. गोचर है जो की ग्राम पंचायत अजीत के खातेदारी में दर्ज है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत गोचर भूमि में से रास्ते तभी दिया जा सकता है जब अन्य कोई खातेदार के जोत तक पहुँचने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही हो व गोचर भूमि में से रास्ते दिया जाने हेतु प्रस्ताव पर जिला कलक्टर से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है साथ गोचर भूमि में से प्रभावित भूमि के क्षतिपूर्ति के रूप में उससे लगती भूमि गोचर के रूप में समर्पित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है तथा खसरा संख्या 198 में प्रस्तावित भूमि की किस्म गै.मु. गोचर है प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 196 से लगता खसरा सख्या 227 से होकर कटाण रास्ता खसरा संख्या 229 तक जाता है जो मौके पर चालू है अर्थात प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए अनुसार नया रास्ता तब ही कायम किया जा सकता है जब आत्यंतिक आवश्यकता हो। यदि कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद हो तो नया रास्ता घोषित नहीं किया जा सकता है।, 2022 (2) *DNJ (Rev.) 1368 BORAD OF REVENUE FOR RAJASTHAN AJMER Brailal VS Maniram* में यह सिद्वान्त

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रतिपादित किया है कि जब वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तो नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता है, हस्तगत प्रकरण मे प्रार्थीगण के पास आवगमन हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है।

लिहाजा तहसीलदार समदडी के रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 08.06.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)